रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938
No. 34] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी006.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 194 के साथ पठित धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमनों का नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से संहिता की धारा 188(1) के तहत गठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "कार्यकारी निदेशक" से बोर्ड के इस तरह नियुक्त वह अधिकारी जिसके पास बोर्ड के मानव संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और बोर्ड का वह अधिकारी भी, जो कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमनों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमश: इस संहिता में उनके हैं।

3. अनुसंधान सहायक और सलाहकार.

(1) बोर्ड नियुक्त किए जाने वाले अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की संख्या समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

(2) बोर्ड ऐसी संख्या में अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

4. अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों के कार्य.

बोर्ड द्वारा नियुक्त अनुसंधान सहायक और सलाहकार वे कार्य करेंगे जो बोर्ड द्वारा उन्हें दिया जाएगा।

5. अर्हताएं, अनुभव और पारिश्रमिक.

(1) विभिन्न संकायों के लिए अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों हेतु अर्हताएं अनुसूची-I पर दिए गए अनुसार होगीः

परंतु कि बोर्ड अन्य किसी संकाय से अनुसंधान सहायक और सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है जो कि संहिता के तहत उसके कार्यनिष्पादन में बोर्ड की सहायता हेतु आवश्यक प्रतीत हों।

(2) संबंधित संकाय में अनुभव के आधार पर, कोई व्यक्ति अनुसूची-II में दिए अनुसार पांच स्तरों में से किसी एक स्तर में अनुसंधान सहायक या सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(3) विभिन्न स्तरों के अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों को अनुसूची-II के अनुसरण में एक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(4) कोई अनुसंधान सहायक या सलाहकार को 12 दिन के वार्षिक अवकाश के अतिरिक्त किसी भी रूप में किसी अन्य पारितोषिक या सुविधा का पात्र नहीं होगा।

6. कार्य निष्पादन का मूल्यांकन.

(1) प्रत्येक अनुसंधान सहायक या सलाहकार के कार्य निष्पादन की समीक्षा सौंपे गए कार्यों और उसके द्वारा दिए गए परिणामों के अनुसरण में प्रत्येक 6 माह से की जाएगी।

(2) यदि कार्य निष्पादन संतोषप्रद नहीं है तो अनुसंधान सहायक या सलाहकार, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति को आगे से समाप्त कर दिया जाएगा।

7. अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों का चयन.

(1) कार्यकारी निदेशकों बोर्ड की वेबसाइट पर नियुक्त किए जाने वाले अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की संकाय-वार और स्तर-वार संख्या अपेक्षित अर्हता और अनुभव के विवरण तथा देय पारिश्रमिक सहित प्रकाशित करेगा तथा एक निर्धारित तारीख तक प्रत्येक संकाय और स्तर के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा:

परंतु कि कार्यकारी निदेशक योग्य सार्वजनिक सूचना द्वारा भी अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों के प्रत्येक संकाय तथा स्तर के आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के तहत आवेदन की पावती की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद कार्यकार निदेशक इन विनियमनों के अनुसरहण में आवेदनों की जांच करेगा और साक्षात्कार हेतु प्रत्येक संकाय और स्तर के पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा।

(3) यदि उप-विनियमन (2) के तहत तैयार की गई पात्र उम्मीदवारों की किसी सूची में उम्मीदवारों की संख्या उस संकाय और स्तर में नियुक्त किए जाने वाले अनुसंधान सहायकों या सलाहकारों की संख्या के चार गुणा से अधिक है तो अधिकारियों की एक समिति अर्हता के उच्चतर मानकों पर आधारित उम्मीदावारों की एक लघु सूची, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो, साक्षात्कार के लिए तैयार करेंगें।

(4) प्रत्येक संकाय और अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों के चयन हेतु, बोर्ड एक चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

क) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य;

ख) कार्यकारी निदेशक या यदि कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त है तो बोर्ड का एक वरिष्ठ अधिकारी और

ग) एक बाहरी विशेषज्ञ

(5) उप विनियमन (4) में उल्लिखित चयन समिति उप विनियमन (2) के तहत तैयार की गई पात्र उम्मीदवारों की सूची में या उपविनियमन (3) के तहत तैयार की गई उम्मीदवारों की लघु सूची में उल्लिखित उम्मीदवारों, जैसा भी मामला हो, का साक्षात्कार लेगी।

(6) बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के पैनल को अनुमोदित करने पर कार्यकारी निदेशक प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव पत्र लिखित में भेजेगा जिसमें नियुक्ति के प्रस्ताव को 10 दिनों के भीतर स्वीकार करने का समय दिया जाएगा।

(7) चयनित उम्मीदवारों से स्वीकृति की पावती के बाद उपविनियमन (7) के अनुसार कार्यकारी निदेशक प्रत्येक उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के लिए तीस दिनों का समय देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा:

परंतु कि कार्यकारी निदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का समय इस संतुष्टि के साथ बढाया जा सकता है कि समय बढाने की मांग उम्मीदवार के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हैं।

8. नियुक्ति की निबंधन और शर्तें

(1) एक चयनित उम्मीदवार 6 माह से अन्यून और 2 वर्ष से अनाधिक समय के लिए संवीदा आधार पर अनुसंधान सहायक या सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) नियुक्त किए गए किसी अनुसंधान सहायक या सलाहकार को अन्य पक्ष द्वारा एक माह की सूचना देते हुए या सूचना के साथ एक माह के वेतन देते हुए पद छोड़ने को कहा जा सकता है।

(3) बोर्ड में नियुक्ति के समय चयनित उम्मीदवार बोर्ड की ओर से कार्य कर रहे कार्यकारी निदेशक के साथ एक संविदा करेगा जो गोपनीयता सहित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के ब्यौरे से संबंधित होगी।

(4) किसी विशेष मामले में नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों में संशोधन किया जा सकता है, यदि बोर्ड को यह अनिवार्य प्रतीत होता है।

(5) प्रतिकूल प्रभाव रहित और बोर्ड की उपलब्ध कानून उपायों के अतिरिक्त किसी भी अनुसंधान सहायक या सलाहकार द्वार या उसकी ओर से उप-विनिमय (2) के तहत किए गए समझौते को तोड़ा जाता है तो वह संविदा के तहत की गई नियुक्ति को समाप्त करने का एक पर्याप्त कारण समझा जाएगा और बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति को भविष्य में नियुक्त किए जाने से वंचित किया जा सकता है।

9. शिथिलता का अधिकार

बोर्ड संहिता के तहत अपनी कार्यप्रणाली को करने के लिए यदि आवश्यक प्रतीत होता है तो इनमें से विनियमनों में इनका कारण बताते हुए शिथिलता दे सकता है।

अनुसूची-I

(विनियमन 5 देखें)

अनुसंधान सहायक या सलाहकार का संकाय	योग्यता	
	अनिवार्य	**वांछनीय**
अर्थशास्त्र/लोक नीति	किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या लोक नीति में स्नातकोत्तर की डिग्री	(क) संगत उच्च शैक्षिक उपलब्धि; (ख) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/ संस्थान से अर्थशास्त्र या किसी निकट संबंधी विषय में डाक्टरेट की उपाधि; (ग) विनियामक अर्थशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र
विधि	(i) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और/य़ा संस्थान से एलएलबी या समकक्ष, और (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसरण में किसी राज्य की भारतीय बार परिषद् में एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने के योग्य	(क) संगत उच्च शैक्षिक उपलब्धि; (ख) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि या किसी निकट संबंधी विषय में एलएल.एम./डाक्टरेट की उपाधि; (ग) विनियामक विधि में डिग्री/ डिप्लोमा/प्रमाण पत्र
व्यवसाय प्रबंधन	किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और/य़ा संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर/भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का कोई सदस्य/भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का कोई सदस्य	(क) अनिवार्य कालम में निम्नलिखित एक से अधिक योग्यता; (ख) संगत उच्च शैक्षिक उपलब्धि; (ख) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि/प्रबंधन/लेखांकन/ वित्त/ किसी निकट संबंधी विषय में डाक्टरेट की उपाधि; (ग) विनियामक विधि/अर्थशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

अनुसूची-II

(विनियमन 5 देखें)

स्तर	प्रांसगिक संकाय में अनुभव (रोजगार/प्रैक्टिस/अनुसंधान) (वर्ष)	समेकित मासिक पारिश्रमिक + 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि
स्तर I (अनुसंधान सहायक)	<3	40,000 रु.
स्तर II (अनुसंधान सहायक)	≥3-<5	60,000 रु.
स्तर III (अनुसंधान सहायक)	≥5-<10	85,000 रु.
स्तर IV (सलाहकार)	≥10-<15	110,000 रु.
स्तर V (सलाहकार)	≥15	135,000 रु.

डा. एम.एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/404/16]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2017

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017

IBBI/2016-17/GN/REG006.—In exercise of the powers conferred by section 240 read with section 194 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Code, 2016 (No. 31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, namely: –

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(a) "Code" means theInsolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(c) "Board" means the Insolvency and Bankruptcy Board of India established under section 188(1) of the Code;

(d) "Executive Director" means an officer of the Board appointed as such and having the responsibility to manage human resources of the Board and includes an officer of the Board authorized by the Chairperson to function as Executive Director (Human Resources);

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Code.

3. Research Associates and Consultants.

(1) The Board may decide, from time to time, the number of the Research Associates and Consultants to be engaged.

(2) The Board may engage such number of Research Associates and Consultants, as it may deem fit.

4. Functions of Research Associates and Consultants.

The Research Associates and Consultantsengaged by the Board shall discharge such functions, as may be assigned to them by theBoard.

5. Qualifications, experience and remuneration.

(1) The eligibility for Research Associates and Consultantsfor different disciplines shall be as given in Schedule I: Provided that the Board may also engage Research Associates and Consultantsfrom any other discipline as deemed necessary to assist the Board in the discharge of its functions under the Code.

(2) Depending upon the experience in respective discipline, a person shall be engaged as Research Associate or Consultantin one of five levels given in Schedule II.

(3) The Research Associates and Consultants of different levels shall be paid a consolidated remuneration in accordance with Schedule II.

(4) A Research Associate or Consultant shall not be entitled to any other compensation or facility in any form except an annual leave of 12 days.

6. Evaluation of performance.

(1) The performance of each Research Associate and Consultant shall be reviewed every six months with reference to tasks assigned and output delivered.

(2) If performance is unsatisfactory, the engagement of the Research Associate or Consultant, as the case may be, shall be discontinued forthwith.

7. Selection of Research Associates and Consultants.

(1) The Executive Director shall publish discipline-wise and level-wise number of the Research Associates and Consultants to be engaged with details of qualifications and experience required and the remuneration payable on the website of the Board and invite applications for each discipline and level by a stipulated date:

Provided that the Executive Director may also invite the applications by suitable public notice, for each discipline and level of Research Associates and Consultants.

(2) On expiry of the last date for receipt of applications under sub-regulation (1), the Executive Director shall scrutinise the applications in accordance with these regulations and prepare lists of eligible candidates for each discipline and level to be called for interview.

(3) In case the number of candidates in a list of eligible candidates prepared under sub-regulation (2) is more than four times the number of Research Associates or Consultants to be engaged in that discipline and or level, a committee of officers will prepare a short list of candidates based on higher standards of eligibility, as may be approved by the Board, for interview.

(4) For selecting Research Associates and Consultants for each discipline and level, the Board shall constitute a selection committee comprising:
a) Chairperson or Whole Time Member,
b) Executive Director or a Senior Officer of the Board, if the position of Executive Director is vacant, and
c) An External expert.

(5) The selection committee mentioned in sub-regulation (4) shall interview the candidates in the list of eligible candidates prepared under sub-regulation (2) or in the short list of candidates prepared under sub-regulation (3), as the case may be, and based on the interview, submit to the Board a panel of candidates for engagement as Research Associates and Consultants.

(6) On approval of the panel of candidates by the Board, the Executive Director shall inform each candidate in writing by an offer letter of engagement giving not less than ten days' time to accept the offer of engagement.

(7) After receipt of acceptance from the selected candidates as per sub-regulation (7), the Executive Director shall issue a letter of engagement to each candidate giving not less than thirty days' time to join:
Provided that the joining time may be extended by the Executive Director on being satisfied that extension is sought on circumstances beyond the control of the candidate.

8. Terms and condition of engagement.

(1) A selected candidate shall be engaged as Research Associates or Consultants on contractual basis for not less than six months and not more two years.

(2) The engagement of a Research Associate or a Consultant may be discontinued by giving one months' notice or one month's salary in lieu of the notice, to the other party.

(3) A selected candidate at the time of joining the Board shall enter into a contract which details the terms and conditions of engagement, including the confidentiality, with the Executive Director acting on behalf of theBoard.

(4) The terms and conditions of engagement may be modified, in a specific case, where the Board deems it necessary.

(5) Without prejudice and in addition to the legal remedies available to theBoard, the breach of agreement executed under sub-regulation (2) by or on behalf of any Research Associate or Consultant shall be considered a sufficient ground for termination of the engagement made under the contract and may further debar such person from future engagement by theBoard.

9. Power to relax.

The Board may relax any of these regulations as may be deemed necessary, after recording the reasons for the same, in the discharge of its functions under the Code.

SCHEDULE I

(See regulation 5)

Discipline of Research Associate or Consultant	**Qualifications**	
	Essential	**Desirable**
Economics / Public Policy	Post Graduate degree in Economics or Public Policy from a recognized University or Institution.	(a) Consistent high academic performance; (b) Doctoral degree from a reputed University / Institution in Economics or a closely related area; (c) Degree / Diploma / Certification in Regulatory Economics.
Law	(i) LL. B or equivalent from a recognized University and/or Institute, and (ii) Qualified to be registered as an Advocate in any State Bar Council of India in terms of Advocate's Act, 1961.	(a) Consistent high academic performance; (b) LL. M. / Doctoral degree from a reputed University / Institution in Law or a closely related area; (c) Degree / Diploma / Certification in Regulatory Law.
Business Management	Post graduate degree / Post graduate diploma / Master of Business Management from a recognized University or Institute / A Member of the Institute of Chartered Accountants of India / A Member of Institute of Cost accountants of India / A Member of Institute of Company Secretaries of India.	(a) More than one of the qualifications mentioned in the essential column; (**b**) Consistent high academic performance; (c) Doctoral degree from a reputed University / Institution in law / management / accounts/ finance / a closely related area; (c) Degree / Diploma / Certification in Regulatory Law / Economics.

SCHEDULE II

(See regulation 5)

Level	Experience (Employment / Practice/ Research) in the relevant discipline (Years)	Consolidated Monthly Remuneration + 10 percent annual increase
Level I (Research Associate)	< 3	Rs.40,000
Level II (Research Associate)	≥ 3 - < 5	Rs.60,000
Level III (Research Associate)	≥ 5 - < 10	Rs.85,000
Level IV (Consultant)	≥ 10 - < 15	Rs.110,000
Level V (Consultant)	≥ 15	Rs.135,000

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./404/16]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.02 22:53:59 +05'30'